



दिनांक 13.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति 522 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

ग्राम प्रहरी सम्मान समारोह में मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मानदेय में प्रतिमाह ₹1,000 की वृद्धि की घोषणा की एवं 5,100 ग्राम प्रहरी सम्मानित

- माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बरेली में आयोजित ग्राम प्रहरी सम्मान समारोह में प्रदेश के लगभग 5,100 ग्राम प्रहरियों को सम्मानित किया।
- मुख्यमंत्री जी ने ग्राम प्रहरियों के मानदेय में प्रतिमाह ₹1,000 की वृद्धि करने की घोषणा की।
- प्रदेश के लगभग 68,000 ग्राम प्रहरियों एवं उनके परिवारों को ₹5 लाख प्रतिवर्ष तक कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणा की गई।
- मुख्यमंत्री जी ने ग्राम प्रहरी के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा थाना प्रभारी/हल्का प्रभारी द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार ग्राम प्रहरियों के साथ बैठक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- मुख्यमंत्री जी ने ग्राम प्रहरियों से कहा- गांव में आपकी भूमिका सीसीटीवी जैसी, सजग रहकर सूचना दें, पुलिस करेगी कार्रवाई।
- पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण ने ग्राम प्रहरियों से डिजिटल माध्यमों के उपयोग, अफवाहों एवं भ्रामक सूचनाओं के प्रति सतर्कता और संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना पुलिस को देने का आह्वान किया।

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज जनपद बरेली में आयोजित ग्राम प्रहरी सम्मान समारोह में ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ग्राम प्रहरियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लगभग 5,100 ग्राम प्रहरी सम्मिलित हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने ग्राम प्रहरियों को प्रतिमाह मिलने वाले मानदेय में ₹1,000 की वृद्धि करने तथा प्रदेश के लगभग 68,000 ग्राम प्रहरियों एवं उनके परिवारों को ₹5 लाख प्रतिवर्ष तक कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने ग्राम प्रहरियों के योगदान की सराहना करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था एवं जनसुरक्षा को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में ग्राम प्रहरियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम प्रहरियों की भूमिका को गांव की सुरक्षा व्यवस्था में सीसीटीवी कैमरे के समान महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने ग्राम प्रहरियों को गाँव की सजग आँख और कान बताते हुए अपने क्षेत्र में सतर्क रहने, महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन करने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संबंधित थाना प्रभारी अथवा हल्का प्रभारी को अवगत कराने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गाँव में सुरक्षा का बेहतर वातावरण ग्रामीण नागरिकों के विश्वास को मजबूत करता है और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करता है।

मुख्यमंत्री जी ने ग्राम प्रहरियों के मानदेय में प्रतिमाह ₹1,000 की वृद्धि की घोषणा करते हुए उनके योगदान को उचित सम्मान देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ग्राम प्रहरी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा थाना प्रभारी अथवा हल्का प्रभारी द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार ग्राम प्रहरियों के साथ बैठक कर प्रभावी संवाद स्थापित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, श्री राजीव कृष्ण ने अपने स्वागत उद्बोधन में मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि **ग्राम प्रहरी पुलिस और ग्रामीण समाज के बीच विश्वास, संवाद एवं सूचना के आदान-प्रदान की महत्वपूर्ण कड़ी** हैं। गाँव की परिस्थितियों, स्थानीय लोगों और सामाजिक गतिविधियों की जानकारी होने के कारण उनकी सजगता पुलिस को संभावित अपराधों एवं कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं की समय रहते जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है। उनकी समयबद्ध सूचना से विवादों को गंभीर रूप लेने से पहले नियंत्रित करने तथा आवश्यक वैधानिक एवं निरोधात्मक कार्रवाई करने में मदद मिलती है।

उन्होंने ग्राम प्रहरियों से अपील की कि वे भूमि विवाद, आपसी तनाव, शांति भंग होने की आशंका, संदिग्ध गतिविधियों अथवा अन्य गैर-कानूनी कृत्यों की सूचना तत्काल संबंधित थाना पुलिस तक पहुँचाए। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रहरी की भूमिका निष्पक्षता के साथ सही सूचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से ग्राम प्रहरियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने, उनकी सूचनाओं को गंभीरता से लेने और उन पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपेक्षा की।

बदलते डिजिटल परिवेश का उल्लेख करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि वर्तमान समय में पारंपरिक अपराधों के साथ साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाएँ भी जनसुरक्षा के लिए चुनौती हैं। **ग्राम प्रहरी स्थानीय व्हाट्सएप समूहों, डिजिटल वॉलंटियर्स और अन्य विश्वसनीय माध्यमों से समन्वय स्थापित कर गाँव की महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी समय रहते पुलिस तक पहुँचा सकते हैं।** उन्होंने ग्राम प्रहरियों से फेक न्यूज़ एवं अफवाहों के प्रति सतर्क रहने तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित सूचनाओं को संवेदनशीलता एवं गोपनीयता के साथ पुलिस तक पहुँचाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

कार्यक्रम में ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चयनित ग्राम प्रहरियों को मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में **जनपद बरेली** के श्री राजवीर सिंह, श्री राम राठौर एवं श्री कुंवरपाल सिंह, **जनपद पीलीभीत** के श्री राजेंद्र वाल्मीकि, **जनपद शाहजहाँपुर** के श्री कमलेश, **जनपद मुरादाबाद** के श्री कमलेश सिंह सैनी, **जनपद बिजनौर** के श्री राजेश सैनी, **जनपद रामपुर** के श्री प्रकाश एवं श्री ध्यान सिंह चौहान, **जनपद सम्भल** के अनिल बाल्मीकी तथा **जनपद अमरोहा** के श्री तेजपाल प्रजापति सहित **विभिन्न जनपदों के ग्राम प्रहरी सम्मिलित** रहे। इन ग्राम प्रहरियों ने अपराध नियंत्रण, महत्वपूर्ण सूचनाओं के संकलन, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सामाजिक सौहार्द तथा चोरी की घटनाओं के अनावरण में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

इस अवसर पर माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्मपाल सिंह, श्री जे.पी.एस. राठौर, डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, श्री संजय गंगवार, सांसद श्री छत्रपाल सिंह गंगवार, राज्यसभा सांसद श्रीमती श्रुति गंगवार, महापौर डॉ. उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल व अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण, अपर मुख्य सचिव, गृह श्री संजय प्रसाद, वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्राम प्रहरी उपस्थित रहे।









दिनांक 13.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति 523 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

- पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 01 करोड़ 10 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 590 ग्राम अवैध स्मैक
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
- 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 13.10.2026 को थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कूकड़ी ग्राउण्ड के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—उस्मान घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—बाबर 3—जहीर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 10 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 590 ग्राम अवैध स्मैक, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जहीर शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—उस्मान निवासी खेमपुर थाना मंगलौर हरिद्वार उत्तराखण्ड।
- 2—बाबर निवासी कुंगरपट्टी सुजडू थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3—जहीर निवासी कुंगरपट्टी सुजडू थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

- 1—लगभग 01 करोड़ 10 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 590 ग्राम अवैध स्मैक।
- 2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।
- 3—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना मण्डी

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 12 दो पहिया वाहन
- 2200 रुपये नगद बरामद

दिनांक 13.10.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जुलम्माढ़ की पुलिया के पास, कूडाघर तिराहा शकलापुरी रोड से 02 अभियुक्तों 1—शोभित उर्फ शोबी 2—जावेद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 12 दो पहिया वाहन, 2200 रुपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शोभित उर्फ शोबी शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—शोभित उर्फ शोबी निवासी सम्राट विक्रम कॉलोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर, स्थाईपता वर्धमान कॉलोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
- 2—जावेद निवासी बंजारान कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

- 1—चोरी के 12 दो पहिया वाहन।
- 2—2200 रुपये नगद।

~3~
जनपद सोनभद्र/थाना चोपन

- अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 26 लाख 40 हजार रुपये कीमत के 52 किलो 745 ग्राम अवैध गांजा
- घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 13.10.2026 को थाना चोपन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा प्रीतनगर के पास से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 03 अभियुक्तों 1—सतेन्द्र 2—अनूप 3—राजन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 26 लाख 40 हजार रुपये कीमत के 52 किलो 745 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चोपन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सतेन्द्र निवासी ग्राम बहेरवां थाना कटया जनपद गोपालगंज बिहार।
- 2—अनूप निवासी ग्राम हरेरवां थाना कटया जनपद गोपालगंज बिहार।
- 3—राजन निवासी ग्राम मोतीपुर थाना कटया जनपद गोपालगंज बिहार।

बरामदगी

- 1—लगभग 26 लाख 40 हजार रुपये कीमत के 52 किलो 745 ग्राम अवैध गांजा।
- 2—घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

➤ जनपद एटा/थाना पिलुआ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना पिलुआ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रवि कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रूपईडीहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बाल बहादुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
